

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान वधियक -2023 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान वधियक -2023 को चर्चा के बाद ध्वनमित से पारति कर दिया गया। यह वधियक मृत शरीरों की गरमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में कयि जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा।

प्रमुख बदि

- संसदीय कार्यमंत्री शांतकुमार धारीवाल ने विधानसभा में इस वधियक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मृत शवों को रखकर धरना-प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिनि-प्रतदिनि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लयि वधिकि में प्रावधान नहीं है, इसीलिये यह वधियक लाया गया है।
- संसदीय कार्यमंत्री शांतकुमार धारीवाल ने बताया कि विरष 2014 से 2018 तक इस तरह की 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएँ हुई हैं।
- इस वधियक से लावारसि शवों की डीएनए एवं जेनेटिकि प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षति भी कयि जाएगा ताकि भवषिय में उनकी पहचान हो सके।
- संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परजिन द्वारा मृत व्यक्ती का शव नहीं लेने की स्थति में वधियक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान कयि गया है। साथ ही परजिन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान कयि गया है।
- इसी प्रकार परजिन से भन्नि अन्य व्यक्ती द्वारा शव का वरिध करने के लयि इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडति करने का प्रावधान कयि गया है।
- कार्यपालक मजस्ट्रेट को मृतक का अंतमि संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही परजिन द्वारा शव का अंतमि संस्कार नहीं करने की स्थति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतमि संस्कार कयि जा सकेगा।
- शांतकुमार धारीवाल ने बताया कि सिविलि रटि पटिशन आश्रय अधिकार अभयान बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीरों के शषिटतापूर्वक दफन या अंतमि संस्कार के नरिदेश प्रदान कएि थे। इस नरिदेशों की पालना में इस वधियक में लावारसि शवों का सम्मानपूर्वक अंतमि संस्कार करना और इन शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डजिटिइजेशन के माध्यम से आनुवंशिकि जेनेटिकि डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान कयि गए हैं।
- इससे लावारसि शवों का रकिॉर्ड संधारति हो सकेगा और उनकी भवषिय में पहचान भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि विरष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारसि शव मलि हैं।
- इससे पूर्व सदन ने जनमत जानने के लयि वधियक को परिचालति करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।